कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
द्वितीय तल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ0प्र0।

संख्या–एम0ई0–3/पी0जी0–2026/2065 लखनऊः दिनांक 19/11/2026

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत के0एम0सी0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, महाराजगंज (पी0पी0पी0), श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, संभल (पी0पी0पी0), अजय सांगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एण्ड रिसर्च एण्ड आयुषमान हास्पिटल, शामली (पी0पी0पी0) एवं डा0 बी0एस0 कुशवाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कानपुर में यू0पी0 नीट पी0जी0–2026 के द्वितीय चक्र की आनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के शिक्षण शुल्क के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतदद्वारा यू0पी0 नीट पी0जी0–2026 की ऑनलाइन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली की Public Notice Dated–06.11.2026 के अनुसार निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल कालेजो में पी0जी0 पाठ्यक्रम (एम0डी0/एम0एस) की सीटों पर प्रथम बार अनुमति प्राप्त होने के दृष्टिगत इन मेडिकल कालेजो के शुल्क निर्धारण की कार्यवाही शासन स्तर पर गठित फीस नियमन समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है। प्रश्नगत मेडिकल कालेजों में एम0डी0/एम0एस0 पाठयक्रम पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ Payble at Lucknow के नाम से निम्नलिखित धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट शिक्षण शुल्क के रूप में प्रस्तुत करते हुए निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी :–

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	पी0जी0 पाठ्यक्रम		
		क्लीनिकल	पैथोलॉजी	नॉन क्लीनिकल
1	के0एम0सी0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, महाराजगंज (पी0पी0पी0)	25,08,698/–	13,68,036/–	10,26,562/–
2	श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, संभल (पी0पी0पी0)	25,08,698/–	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
3	अजय सांगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एण्ड रिसर्च एण्ड आयुषमान हास्पिटल, शामली (पी0पी0पी0)	25,08,698/–	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
4	डा0 बी0एस0 कुशवाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कानपुर	25,08,698/–	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं

उक्त शुल्क प्रोविजनल रूप से निर्धारित है, जो राज्य सरकार के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उ0प्र0 शासन द्वारा प्रश्नगत मेडिकल कालेज के पी0जी0 पाठ्यक्रम (एम0डी0/एम0एस) के शिक्षण शुल्क निर्धारित किये जाने संबंधी शासनादेश जारी होने के उपरान्त यदि शिक्षण शुल्क में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसी दशा में अन्तर की धनराशि संबंधित अभ्यर्थियों को जमा करना अनिवार्य होगा।

कृते महानिदेशक